

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
उत्तराखण्ड (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के 13-टिहरी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिये निर्वाचन।

13-टिहरी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तराखण्ड (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) की विधान सभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ, कि—

श्री किशोर उपाध्याय, अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी निवासी ग्राम पाली, पोस्ट-अंजनीसैण, पट्टी- लामरीधार, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढवाल, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गए, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नई टिहरी।

तारीख- 10-03-2022।

डिटर्निंग ऑफिसर,
13-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।



**Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)**

FORM 21C

(See Rule-64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section Under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

* Election to the House of the People from the 13-Tehri Assembly constituency in Uttarakhand (State/ Union territory).

* Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** (State/ Union territory) from 13-Tehri Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Kishore Upadhyay Candidate of Bharatiya Janata Party, Resident of Village- Pali, Post-Anjanisain, Patti-Lamridhar, Tehsil-Jakhnidhar, Distt.-Tehri Garhwal Sponsored by Bhartiya Janta Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Govt. ITI New Tehri

Date- 10-03-2022

**Returning Officer,
13-Tehri.**

